संख्या-8/2025/1196490/2025/सात न्याय-9(बजट)-2025- 07-9099/817/2025

प्रेषक,

उदय प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबंधक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद, उ0प्र0।

न्याय अनुभाग-9 (बजट) **लखनऊः दिनांक 09 जनवरी, 2026**

विषय- जिला न्यायालय सहारनपुर में 12 कक्षीय न्यायालय भवनों की वृहद मरम्मत का कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या-11/2025/2648/सात-न्याय-9(बजट)-2024-800(161) 2021,दिनांक 07 जनवरी 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जिला न्यायालय सहारनपुर में 12 कक्षीय न्यायालय भवनों की वृहद मरम्मत के कार्य हेतु धनराशि रू0 45.00 लाख अवमुक्त किये जाने के आदेश निर्गत किये गए है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-37/2022/210/सात-न्याय-9(बजट)-2021-800(161) 2021,दिनांक 11 फरवरी 2022 द्वारा उक्त कार्य हेतु धनराशि रू0 166.13 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये इसके सापेक्ष धनराशि रु0 33.06लाख अवमुक्त किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है। प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि रू0 128.06 लाख(शासनादेश दिनांक 11-02-2022 द्वारा रु0 33.06लाख, शासनादेश दिनांक 10-11-2022 द्वारा रु0 50.00लाख व शासनादेश दिनांक 07-01-2025 द्वारा 45.00लाख) अवमुक्त की जा चुकी है, तथा धनराशि रु0 38.07 लाख अवमुक्त किया जाना शेष है|

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिला न्यायालय सहारनपुर में 12 कक्षीय न्यायालय भवनों की वृहद मरम्मत के कार्य हेतु स्वीकृत लागत धनराशि रू0 166.13 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 38.07 लाख(रू0 अडत्तीस लाख सात हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उपर्युक्त निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग कार्यदायी संस्था नामित है। अतः उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित करके अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, सहारनपुर को उपलब्ध कराने हेतु निबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच को अधिकृत किया जाता है।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
3. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा तथा धनराशि को पी0एल0ए0 खाता में नहीं रखा जायेगा।
4. नियमानुसार सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं का क्रय गवर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस(GEM)/ई-टेन्डरिंग के माध्यम से किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

5. इस संबंध में मूल शासनादेश संख्या-37/2022/210/सात-न्याय-9(बजट)-2021-800(161) 2021,दिनांक 11 फरवरी 2022 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों, शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
6. प्रायोजनान्तर्गत उक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में यथाशीघ्र कर लिया जायेगा ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025,दिनांक 27.03.2025 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-42 के अधीन लेखाशीर्ष "2014-न्याय प्रशासन-800-अन्य व्यय-05-विभागीय भवनों के अनुरक्षण हेतु प्राविधान-29-अनुरक्षण मद के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025,दिनांक 27.03.2025 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उदय प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या उपर्युक्तानुसार, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिर्पोट लेखा अनुभाग, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3. निबन्धक/वरिष्ठ निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ।
4. निजी सचिव, अध्यक्ष अवस्थापना, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को मा0 अध्यक्ष के अवगतार्थ।
5. जनपद न्यायाधीश, सहारनपुर।
6. श्री पीयूष कुमार, उपसचिव एवं नोडल अधिकारी(बजट एलाटमेण्ट)।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, दशम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. सब-यूजर, बजट एलाटमेंट(विभागाध्यक्ष स्तर),उ0प्र0 शासन।
9. कोषाधिकारी,कलेक्ट्रेट,लखनऊ(मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ के माध्यम से)।
10. मुख्य अभियंता(भवन),उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
11. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,सहारनपुर।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
13. गार्डबुक न्याय-9 (बजट)।

आजा से,

(मुकेश कुमार सिंह-II)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।